सी.एच.आर.आई.
2015

101 बातें जो आप पुलिस के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन पूछने से काफी घबराते हैं

सी.एच.आर.आई.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल करने के लिए कार्यरत

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर–सरकारी संगठन है जिसे कॉमनवेल्थ के देशों में मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल करने का कार्यभार सौंपा गया है। वर्ष 1987 में अनेक कॉमनवेल्थ व्यावसायिक एसोसिएशनों ने सी.एच.आर.आई. की स्थापना की। उनका विश्वास था कि हालांकि कॉमनवेल्थ ने अपने सदस्य देशों को वैसे मूल्य और कानूनी सिद्धांत प्रदान किया है जिसके आधार पर वे कार्य करते हैं तथा ऐसा मंच प्रदान किया है जिससे वे मानव अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, परन्तु कॉमनवेल्थ के अन्दर मानव अधिकार के मुद्दों पर कम ध्यान केन्द्रित किया गया है।

सी.एच.आर.आई. का उद्देश्य, कॉमनवेल्थ हरारे सिद्धांतों, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानव अधिकार तंत्र और कॉमनवेल्थ सदस्य देशों में मानव अधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू तंत्रों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसका अनुपालन करना है। अपने रिपोर्टों और आवधिक जांच के माध्यम से सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकारों की प्रगति और उसमें बाधाओं के बारे में निरन्तर ध्यान आकर्षित करता है।

मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने की अवधारणा और उपायों के समर्थन में सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ सचिवालय, सदस्य सरकारों तथा सिविल समाज एसोसिएशनों का ध्यान आकर्षित करता है। अपनी जन शिक्षा कार्यक्रमों, नीति संबंधी वार्ता, तुलनात्मक शोध, समर्थन और नेटवर्क के माध्यम से सी.एच.आर.आई. का उद्देश्य अपने प्राथमिक मुद्दों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। सी.एच.आर.आई. के प्रायोजक संगठनों का स्वरूप इसे एक राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क प्रदान करता है। ये व्यावसायिक संगठन अपने कार्यों में मानव अधिकार मानदंडों को शामिल कर सार्वजनिक नीति का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं तथा मानव अधिकार सूचना, मानदंड और प्रथा के प्रसार में एक माध्यम के रूप में कार्य करते है। ये समूह स्थानीय जानकारी को भी प्रोत्साहित करते हैं, नीति निर्माताओं तक उनकी पहुंच है, मुद्दों को उजागर करते हैं और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में एक सहयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली, भारत में स्थित है तथा इसके लंदन, यू.के. और आक्रा, घाना में कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति : यशपाल घई – चेयरपर्सन. सदस्य : सैम ओकुदजेतो, एलिसन डक्सबरी, नेविल लिंटन, वजाहत हबिबुल्लाह, विवेक मारू, एडवर्ड मॉरटिमर, माया दारूवाला

कार्यकारी समिति (भारत) : वजाहत हबिबुल्लाह – चेयरपर्सन. सदस्य : बी.के. चन्द्रशेखर, नितिन देसाई, संजय हजारिका, कमल कुमार, पूनम मुत्रेजा, रूमा पाल, जैकब पुन्नोज, ए.पी. शाह, माया दारूवाला

कार्यकारी समिति (घाना) : सैम ओकुदजेता – चेयरपर्सन. सदस्य : एकोतो एमपा, कोफी कुआशिंगा, यशपाल घई, वजाहत हबिबुल्लाह, नेविल लिंटन, जुलियट तुआकली, माया दारूवाला

कार्यकारी समिति (यू.के.) : नेविल लिंटन – चेयरपर्सन. सदस्य : रिचर्ड बॉर्न, मीनाक्षी धर, क्लेयर दुबे, फ्रांसिस हैरिसन, डेरेक इंग्रम, रीता पेन, पूर्णा सेन, सय्यद शर्फुद्दीन, जॉय सिल्वा, माइकल स्टोन।

कॉमनवेल्थ जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लायर्स ऐसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन और कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिऐशन

यह रिपोर्ट यूरोपीय संघ की वित्तीय सहायता से तैयार की गई है। यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं जिन्होंने अपनी प्रौद्योगिकी संसाधनों और नियति को धीरे–धीरे एक साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। विगत 50 वर्ष के दौरान संघ ने सांस्कृतिक विविधता, सहनशीलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखते हुए स्थायित्व लोकतंत्र और सतत् विकास के एक क्षेत्र का निर्माण किया है। यूरोपीय संघ अपनी उपलब्धियों और अपने मूल्यों को अपने सीमा क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रों और नागरिकों के साथ बांटने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस रिपोर्ट की विषय–वस्तु की पूरी जिम्मेदारी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की है और किसी भी परिस्थिति में इसे यूरोपीय संघ का विचार नहीं समझा जाना चाहिए।

ISBN: 81-88205-67-2
© कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, 2009, 2015, में संशोधित और पुनःप्रकाशित
जनवरी, 2015 में अनुवादित और मुद्रित
स्त्रोत की समुचित जानकारी देकर इस रिपोर्ट से सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

सी. एच. आर. आई. मुख्यालय
55ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स,
कालू सराय, तीसरा माला
नई दिल्ली–110016
टेली: +91–11–4318–0200,
+91–11–4318–0201
फैक्स: +91–11–2686–4688
info@humanrightsinitiative.org

सी.एच.आर.आई.यूनाइटेड किंगडम
इंस्टीट्यूट आफ कॉमनवेल्थ स्टडीज
28, रसेल स्क्वायर, लंदन
WC1B5DS-यू.के.
टेली:+44–0–207–862–8857
फैक्स:+44–0–207–862–8820
chri@sas.ac.uk

सी. एच. आर. आई. अफ्रीका, आक्रा
हाउस न0–9, समोरा मशेल
स्ट्रीट असाइलम डाउन
बेवर्ले हिल्स होटल के सामने
ट्रस्ट टावर के नजदीक, आक्रा, घाना
टैली : +233 (0) 302–971170
फैक्स : +233 (0) 302–244819
chriafrica@humanrightsinitiative.org

101 बातें जो आप पुलिस के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन पूछने से काफी घबराते हैं

लेखिका
माया दारूवाला
नवाज़ कोतवाल

प्रस्तावना

हमारा पुलिस से प्रतिदिन सम्पर्क होता है। हम उन्हें यातायात को नियंत्रित करते हुए, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करते हुए, भीड़ को नियंत्रित करते हुए, लोगों को अदालत तक पहुंचाते हुए, गवाही देते हुए, थानों में शिकायत दर्ज करते हुए या अपराधियों और आंतकवादियों से लड़ते हुए– ऐसे अनेक काम करते हुए देखते हैं। हम समाचार पत्रों, या टी. वी. के माध्यम से या फिर आपसी बातचीत द्वारा भी पुलिस के बारे में काफी कुछ सुनते हैं। पुलिस के बारे में हर व्यक्ति की अपनी एक राय होती है और अक्सर ये राय प्रशंसाभरी नहीं होती। लेकिन वास्तव में ज़्यादातर लोग पुलिस के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं।

लोकतंत्र में पुलिस सत्तारूढ़ सरकार की एजेन्ट नहीं होती जिसे लोगों को दबाने और नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बजाए यह फायर ब्रिगेड या राजस्व विभाग के समान एक अनिवार्य सेवा है जिसका कर्तव्य कानून के अनुसार हम सबको सुरक्षा प्रदान करना है। अन्य सरकारी अधिकारियों की तरह पुलिसकर्मी भी जनता की सेवा के लिए नियुक्त लोकसेवक हैं जिनका वेतन नागरिक अदा करते हैं।

जैसे कि पुलिस का हमारे प्रति कर्तव्य है ठीक वैसे ही लोगों का भी पुलिस के प्रति कर्तव्य है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह केवल पुलिस से डरना या फिर उन्हें नापसन्द करना या फिर परेशानी के समय ही उनके पास जाना ही काफी नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नागरिक और पुलिस दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। उनके कार्यों और चुनौतियों को समझना, वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं यह जानना, उनका संगठन कैसा होता है यह पहचानना और उनकी शक्तियों की सीमाओं और कर्तव्यों को समझना अनिवार्य है। हमारे लिए हमारे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना भी अनिवार्य है ताकि न तो पुलिस और न ही कोई नागरिक कानून को तोड़े और बचकर निकल जाए। ऐसी स्थिति को ही कानून का शासन कहा जाता हैं।

यह पुस्तिका पुलिस के बारे में आपको जानकारी देने की एक सरल गाइड है। आपको उपलब्ध यह जानकारी आपको प्रोत्साहित करेगी कि किसी पुलिस कर्मी को गलत कार्य करते हुए पाएं तो आप अगली बार चुप रहने के बजाए अपनी आवाज उठाएं। पुलिस के बारे में जानकारी होने पर ही हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं और हालात तभी सुधरेंगे जब हम गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठायेंगे। यह पुस्तिका इस उम्मीद से लिखी गई है कि पुलिस के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर नागरिक इस जानकारी का उपयोग एक बेहतर पुलिस सेवा की मांग के लिए करेंगे जिसके वे हकदार हैं।

संकल्पना, संरचना और विन्यासः सेंथिल कुमार परमशिवं
चित्रणः सुरेश कुमार

1. हमें पुलिस बल की आवश्यकता क्यों है?

नागरिकों में सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए पुलिस बल नियुक्त है। पुलिस समाज में शांति और व्यवस्था की रखवाली करती है और साथ ही अपराध को रोकती है और घटित अपराधों की जांच करती है। पुलिस कानून के रखवालों कि भूमिका निभाती है ताकि हरेक व्यक्ति और स्वयं पुलिस हर कदम पर कानून का पालन करें।

2. पुलिस से कौन–कौन से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है?

पुलिस के अनेक कर्तव्य हैं: उन्हें अपराध को रोकना और उसे नियंत्रित करना चाहिए। जब कभी भी अपराध घटे उसका पता लगाना चाहिए और उसकी समुचित जांच करनी चाहिए। उसे मुकद्दमा चलाने के लिए पक्के सबूतों के आधार पर केस तैयार करना चाहिए जिसे अभियोक्ता अदालत में पेश कर सके। पुलिस की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पूरी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखे। इसके लिए वह अपने क्षेत्र के समुदाय में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी इक्ट्ठा करती है।

रंगे हाथ पकड़े गए

3. पुलिस की शक्तियों का अर्थ क्या है?

पुलिस को कई प्रकार की शक्तियां कानून द्वारा दी गयी हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही करना चाहिए। पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, तलाशी ले सकती है, जब्ती कर सकती है, अपराध की जांच कर सकती है, गवाहों से और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर सकती है, अनियंत्रित भीड़ को तितर–बितर कर सकती है और समाज में व्यवस्था बना सकती है। परन्तु यह सभी काम उसे निर्धारित कानूनी तरीके से ही करना होगा न कि किसी अन्य तरीके से। पुलिस अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी मनमर्ज़ी से काम नहीं कर सकती। शक्ति का दुरुपयोग, कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता, सिविल दोष या कोई अपराध माना जाएगा और पुलिस अधिकारी दंड का हकदार होगा।

4. क्या समूचे भारत में मात्र एक पुलिस बल है?

नहीं! प्रत्येक राज्य का अपना पुलिस बल होता है जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है। अतः हमारे देश में अनेक पुलिस बल हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों जैसे कि राजधानी दिल्ली,

चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और अंडमान और निकोबार की पुलिस केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में हैं।

5. अर्द्ध सैनिक बल क्या होते है?

अर्द्ध सैनिक बल जैसे कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी. आर. पी. एफ.), सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ.), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई. टी. बी. पी) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन. एस. जी.) केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष कार्य के लिए स्थापित सशस्त्र पुलिस संगठन हैं। उनकी संरचना सेना के तर्ज़ पर होती है इसीलिए उन्हें अर्द्ध सैनिक बल कहा जाता है। वे पुलिस को उग्रवाद विरोधी या आतंक विरोधी गतिविधियों या सिविल अशांति के समय सहायता करते हैं।

6. क्या कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी बन सकता है?

हां! कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी बन सकता है। हालांकि आपको किसी विशेष रैंक के लिए निर्धारित शर्तों और मानदंडों को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए एक कांस्टेबल के पद के लिए आपको कम से कम हाईस्कूल पास होना जरूरी है। सब–इंस्पेक्टर के लिए आपको स्नातक (ग्रेजुएट) होने की ज़रूरत है।

7. मै पुलिस अधिकारी कैसे बन सकता हूं ?

तीन स्तर पर आप पुलिस बल में शामिल हो सकते हैं। राज्य स्तर पर आप या तो कांस्टेबल के स्तर पर शामिल होकर पुलिस उप–अधीक्षक तक पदोन्नत हो सकते हैं या सब–इंस्पेक्टर के स्तर पर शामिल होकर किसी जिला के प्रभारी पुलिस अधीक्षक के पद तक पदोन्नत हो सकते हैं।

कांस्टेबल और सब–इंस्पेक्टर के लिए एक लिखित परीक्षा देनी होती है। इसमें पास होने पर आपको एक शारीरिक परीक्षा देनी पड़ती है। यदि आप उसे भी पास कर लेते हैं तो आपको इण्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है ताकि पता चल सके कि आप शारीरिक रूप से इस काम के लिए योग्य हैं और तभी अंतिम चयन पूरा होता है।

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों (आई. पी. एस.) की भर्ती केन्द्रीय स्तर पर होती है और उनका रैंक अपर या सहायक अधीक्षक या सहायक आयुक्त से शुरू होता है।

8. भारतीय पुलिस सेवा क्या होती है?

भा. पु. से. (आई. पी. एस.) भारतीय पुलिस सेवा का संक्षिप्त नाम है जो भारत सरकार की तीन अखिल भारत सेवाओं में से एक है। अन्य दो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) और भारतीय वन सेवा (आई. एफ. एस.) है। इस भा. पु. से. के समूह से पुलिस अधिकारियों का चयन से किया जाता है और उन्हें पूरे देश में वरिष्ठ पदों पर कार्य करने के लिए भेजा जाता है।

9. मैं भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) में कैसे शामिल हो सकता हूं?

सर्वप्रथम आपको संघ लोक सेवा आयोग (यू. पी. एस. सी.) द्वारा आयोजित प्राथमिक परीक्षा में बैठना होता है। परीक्षा की तारीख और स्थान समय–समय पर स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं।

यदि आप लिखित मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो एक बोर्ड द्वारा आपका इण्टरव्यू लिया जाता है। जब आपका चयन हो जाता है तब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस केन्द्रीय सेवा में शामिल होना चाहेंगे जैसे कि विदेश सेवा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा या राजस्व या अन्य सम्बद्ध सेवाएं। यदि आप काफी अधिक अंक हासिल करते हैं तो आपको अपने पसन्द की सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा क्योंकि विभिन्न सिविल सेवाओं में भर्त्ती गुणवत्ता आधारित होती है।

10. एक भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) अधिकारी के रूप में मुझे किस प्रकार का प्रशिक्षण मिलेगा?

भारतीय पुलिस सेवा में आपको लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में आधारभूत प्रशिक्षण लेना होता है। इसके बाद राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता है। बाद में इन्हें समय–समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

11. अन्य रैंक के अधिकारियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है?

उन्हें बाह्य शारीरिक प्रशिक्षण, अस्त्रों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार, बलवा नियंत्रण और अस्त्रहीन मुकाबले का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें विभिन्न फौजदारी कानूनों के बारे में क्लासरूम प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि अपराध जांच किस प्रकार की जाए, भीड़ का किस प्रकार नियंत्रण किया जाए और उनके समक्ष आने वाली अन्य प्रकार की समस्याओं से वे कैसे निपटें।

12. देश में पुलिस थानों की संख्या क्या है?

जनवरी, 2013 तक देश में कुल 14,360 पुलिस थाने हैं, इसके अतिरिक्त पूरे देश में कुल 502 महिला पुलिस थाने हैं।

13. क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी हैं?

नहीं! संयुक्त राष्ट्र मानदंड के अनुसार देश में प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर 230 पुलिसकर्मी होने चाहिए। परन्तु भारत में प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर सिर्फ 136 पुलिसकर्मी हैं। यह विश्व के सबसे न्यूनतम पुलिस जनसंख्या अनुपात में से एक है। पुलिस विभाग में अनेक रिक्तियां होती हैं परन्तु उन्हें अब लम्बे समय तक भरा नहीं जाता है। हालांकि पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 22 लाख है परन्तु सिर्फ 16.6 लाख पुलिसकर्मी ही सेवा में हैं अर्थात् अभी 24.8 प्रतिशत पुलिस कर्मियों की कमी है।

परन्तु इन आंकड़ों से पुलिस की पूरी तस्वीर का पता नहीं चल सकता है क्योंकि छोटे शहरों कि तुलना में बड़े शहरों में अधिक संख्या में पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। अनेक पुलिस अधिकारियों का उपयोग बहुत थोड़े से अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) की सुरक्षा के लिए किया जाता है। प्रशासनिक और यातायात कार्यों में भी अनेक पुलिसकर्मी लगे होते हैं। इसीलिए अपराध रोकथाम, जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी संख्या काफी कम हो जाती है।

14. क्या पुलिस बल में महिलाएं भी होती हैं?

हां! परन्तु कुल पुलिस बल में उनकी संख्या सिर्फ 5 प्रतिशत है। देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पुलिस बल में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।

15. क्या महिला पुलिस कर्मियों के कर्तव्य भिन्न होते हैं?

नहीं! जहां तक नियम और कानून का संबंध है, महिलाएं वहीं काम करेगीं जो पुरुष पुलिस कर्मी करेंगे। परन्तु महिला पुलिस थानों में सिर्फ महिलाओं की ही तैनाती की जाती है।

16. क्या पुलिस बल में किसी विशेष प्रकार के आरक्षण या कोटे का प्रावधान होता है?

हां, प्रत्येक राज्य में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों (जिनकी संख्या जनवरी, 2013 के महीने के अनुसार कुल पुलिस बल का 10.66 प्रतिशत है) अनुसूचित जनजातियों (8.53 प्रतिशत) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए (16.94 प्रतिशत) कोटे का प्रावधान है। केन्द्र और राज्य सरकार के अपने नियम हैं कि इन समुदायों से कितने लोगों की भर्ती की जाए। परन्तु अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए किसी विशेष आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कुल आईपीएस अधिकारियों में से मुसलमान अधिकारियों की संख्या केवल 4% और मुसलमान कांस्टेबल की संख्या केवल 6% है।[1]

डी.जी.पी.

17. पुलिस बल में दलितों, महिलाओं, मुसलमानों, ईसाईयों, जनजातियों और अन्य समुदाय के लोगों को शामिल करना क्यों अनिवार्य है?

यह ज़रूरी है कि पुलिस बल में पुरुषों और महिलाओं तथा प्रत्येक धर्म, वर्ग, जाति और जनजाति के लोगों का मिला–जुला प्रतिनिधित्व हो। इसमें विभिन्न समुदायों के व्यवहार और प्रवृत्ति तथा उनकी संस्कृति के बारे में समझ बढ़ती है और उनके बारे में पूर्वाग्रहों को दूर करने में सहायता मिलती है।

आई.जी.पी.

18. मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी है?

पुलिस अधिकारी की खाकी या नीले रंग की वर्दी होती है साथ ही टोपी, बैल्ट और कन्धे पर बैज लगा होता है जो उनके रैंक और संबंधित पुलिस बल को दर्शाता है। पुलिस अधिकारी की छाती पर नाम की पट्टी भी प्रदर्शित होती है।

डी.आई.जी.पी.

19. पुलिस बल में कौन–कौन से रैंक होते हैं?

पुलिस बल की श्रेणी में कांस्टेबल सबसे नीचे रैंक होता है। इसके बाद हेड–कांस्टेबल (एच. सी.), सहायक उप–निरीक्षक (ए. एस. आई.), उप–निरीक्षक (एस. आई.), पुलिस इंस्पेक्टर (पी. आई.), सहायक/उप–अधीक्षक पुलिस (ए. एस. पी./डी. एस. पी.), अपर पुलिस अधीक्षक (एडशिनल एस. पी.), पुलिस अधीक्षक (एस. पी.), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस. एस. पी.), पुलिस उप–महानिरीक्षक (डी. आई. जी.), पुलिस महानिरीक्षक (आई. जी. पी.), पुलिस सहायक महा–निदेशक (ए. डी. जी.) और अन्त में पुलिस महा–निदेशक (डी.जी.पी.)।

एस.एस.पी.

20. बीट कांस्टेबल क्या होता है?

नहीं यह ऐसा पुलिस कांस्टेबल नहीं होता है जो आपको पीटे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी पुलिस अधिकारी को बल प्रयोग की अनुमति नहीं है सिवाय तब जब वह व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध कर रहा हो या वह भागने का प्रयास कर रहा हो। किसी बीट पुलिस अधिकारी को इस नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उसका एक विशेष निर्धारित क्षेत्र या रूट होता है जिस पर वह स्वयं और कभी–कभी अन्य पुलिस अधिकारी के साथ गश्त लगाता है ताकि यह पता लगे कि इस क्षेत्र में सब कुछ व्यवस्थित है और कोई भी संदिग्ध घटना तो नहीं घटने वाली है। रात्रि गश्त में कभी–कभी पुलिस आवाज लगाती है या अपनी लाठी बजाती है ताकि लोगों को पता चले कि वह गश्त पर है।

1. सच्चर समिति रिपोर्ट, नवम्बर, 2006

21. क्या सभी पुलिस अधिकारी सभी प्रकार का काम करते हैं?

नहीं! कांस्टेबल के रैंक से लेकर डी. जी. पी. रैंक तक सभी पुलिस अधिकारियों को अलग–अलग ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। ये ज़िम्मेदारियाँ प्रत्येक राज्य के पुलिस मैनुअल में दी गई हैं। एक जूनियर अधिकारी एक सीनियर अधिकारी को सौंपे गए कार्य को नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए एक उप–निरीक्षक वह कार्य नहीं कर सकता जो पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया हो। परन्तु नीचे रैंक के अधिकारियों को सौंपे गए कार्य को सीनियर रैंक का अधिकारी कर सकता है।

22. क्या कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मुझे यातायात संबंधी अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है?

हां! एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी एक पुलिस अधिकारी होता है जिसे मूलतः यातायात नियंत्रण का कार्य दिया गया है। यदि वह आपको कोई अपराध करता हुआ पाता है तो वह आपको किसी भी अन्य पुलिसकर्मी या किसी गैर–सरकारी नागरिक के समान गिरफ्तार कर सकता है।

23. सी. आई. डी. क्या होती है?

सी. आई. डी. का अर्थ होता है अपराध जांच विभाग। इसे कभी–कभी विशेष शाखा या जांच शाखा भी कहा जाता है। यह राज्य पुलिस की जांच एजेंसी होती है। उन्हें धोखाधड़ी, बेईमानी, गैंग–वार या अंतर्राज्यीय संबंधों वाले अपराधों जैसे गंभीर अपराध के जांच का कार्य दिया जाता है।

24. क्या सी. आई. डी. पुलिस से भिन्न है?

नहीं! सी. आई. डी. कर्मियों का चयन पुलिस अधिकारियों में से ही किया जाता है।

25. पुलिस बल का प्रभारी कौन होता है?

प्रत्येक राज्य में पूरी पुलिस का एक प्रमुख होता है। उसे पुलिस महानिदेशक या संक्षेप में डी. जी. पी. कहा जाता है। लेकिन डी. जी. पी. को भी सरकार को रिपोर्ट करना होता है। वह पुलिस विभाग का सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसका नियंत्रक राज्य और केन्द्र में गृह विभाग का प्रभारी गृह मंत्री होता है।

26. पुलिस महानिदेशक (डी. जी. पी.) को किसी मंत्री को क्यों रिपोर्ट करना होता है?

हममें से हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और हमें अपने तथा अपने प्रियजनों और अपनी सम्पत्ति की चिंता न करनी पड़े यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार यह कार्य पुलिस को सौंपती है। इसीलिए पुलिस को सरकार को यह रिपोर्ट करना होता है कि वह अपना कार्य किस प्रकार कर रही है। साथ ही नागरिकों के प्रति सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि पुलिस ईमानदार, निष्पक्ष और कार्यकुशल हो और अपना कार्य कानून के अनुसार करे न कि अपनी इच्छा के अनुसार।

27. पुलिस व्यवस्था के लिए धन का प्रावधान कौन करता है?

पुलिस व्यवस्था को चलाने के लिए धन का प्रावधान नागरिकों द्वारा अदा किए गए कर से होता है। हालांकि उनका वेतन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बजट से दिया जाता है परन्तु यह आता तो आम आदमी की जेब से ही है।

28. पुलिस को अपने कार्य के लिए धनराशि कहाँ से प्राप्त होती है?

प्रत्येक राज्य का अपना एक बजट होता है जिसमें पुलिस सेवा के लिए विशेष आवंटन किया जाता है। पुलिस को इसी बजट से धन प्राप्त होता है।

29. बजट का अनुमोदन कौन करता है और इसका सबसे बड़ा भाग किस मद पर खर्च किया जाता है?

पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए बजट को राज्य विधान मंडल अनुमोदन देता है। केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में बजट संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सबसे पहले प्रशासनिक विभाग के महानिदेशक द्वारा प्रारूप तैयार किया जाता है यह प्रारूप डी. जी. पी. को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। वहां से यह गृह विभाग को जाता है। तब वित्त मंत्रालय इसे अपनी स्वीकृति देता है और फिर राज्य बजट के रूप में मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और अन्त में यह चर्चा के लिए विधानमंडल में भेजा जाता है। विधानमंडल में चर्चा के बाद वर्ष का पुलिस बजट स्वीकृत होता है। राज्य बजट में पुलिस व्यवस्था के लिए आवंटित धनराशि का सबसे बड़ा भाग वेतन पर खर्च होता है। व्यय के अन्य मद हैं प्रशिक्षण, जांच, बुनियादी ढांचा, आवास आदि।

30. हमें यह जानकारी कैसे मिलेगी कि पुलिस को मिलने वाली राशि को उचित रूप से खर्च किया जाता है?

पुलिस के खाते और खर्च की गई राशि की जांच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) द्वारा वार्षिक लेखा जांच के माध्यम से की जाती है। इन खातों का ब्यौरा संसद और विधानमंडलों को भेजा जाता है। इनकी जांच किए जाने के बाद इन्हें गृह/पुलिस विभाग के वेबसाइट पर या संसद ग्रंथालय में उपलब्ध कराया जाता है। आप पुलिस के वार्षिक व्यय के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चूंकि पुलिस व्यवस्था में करदाताओं के धन का उपयोग होता है – जो आपका धन होता है, आपको यह सुनिश्चित करने में रुचि दिखानी चाहिए कि यह राशि समुचित रूप से खर्च की जाए।

31. पुलिस किस कानून से शासित होती है?

1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा अधिकतर राज्यों की पुलिस शासित होती है। कुछ राज्यों के अपने पुलिस अधिनियम हैं। परन्तु सभी पुलिस अधिनियम पुराने कानून के अनुरूप बनाए गए हैं।

अभी हाल ही में कुछ राज्यों ने अपने पुलिस कानूनों में संशोधन किया है और एक नया पुलिस अधिनियम बनाया है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सी.आर.पी.सी.) इंडियन पीनल कोड (आई.पी.सी.) तथा कुछ स्थानीय कानूनों द्वारा पुलिस का कार्य विनियमित होता है।

32. पुलिस अधिनियम में क्या कहा गया है?

पुलिस अधिनियम में आमतौर पर यह कहा गया है कि पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। पुलिस बल किस प्रकार संगठित किया जाएगा, उनके क्या रैंक होंगे, बल का नेतृत्व कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, गलत कार्य करने पर पुलिस को किस प्रकार के दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा – यह सारी बातें पुलिस अधिनियम में बतायी गयी हैं। इसमें आम जनता के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं।

33. पुलिस अधिनियम में नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों का ज़िक्र क्यों है?

इस प्रकार के कुछ अपराधों को इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को साफ–सुथरी, गड़बडीमुक्त, सुरक्षित और बीमारी से दूर रखें। उदाहरण के लिए पशुओं को सड़क पर खुला छोडने, उन्हें खुले में काटने या उनके साथ क्रूर व्यवहार करने पर पुलिस किसी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। वैसे लोग जो सड़क पर रुकावट पैदा करते हैं, इसे गंदा करते हैं, बगैर लाइसेंस सामान बेचने के लिए सड़क पर रखते हैं, अभद्र हैं, नशे में हैं या उधम मचाते हैं या कुंआ आदि जैसे खतरनाक जगहों को बाड़ लगाकर सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं, को भी तत्काल गिरफ्तार कर सकते हैं।

34. 'विधि सम्मत् शासन' का अर्थ क्या होता है?

इसका अर्थ है कि हम सभी बड़े या छोटे, अमीर या गरीब, पुरुष या महिला यहां तक कि सरकारी और लोक सेवक, जैसे कि पुलिस, को भी कानून का अनुपालन करना है और देश में संविधान के अंतर्गत निर्धारित कानून के अनुसार रहना है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पुलिस की हर कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए और यदि वह ऐसा नहीं करती तो वह कानून के प्रति जवाबदेह होगी। इसका यह भी अर्थ है कि जो भी कानून बनाए जाए वे उचित और न्यायसंगत हों और सभी पर निष्पक्ष रूप से लागू हों।

35. यदि कोई पुलिस अधिकारी गलती करता है तो क्या उसे दंड दिया जा सकता है?

हां! किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी सामान्य व्यक्ति के समान कानून तोड़ने पर दंड दिया जा सकता है। वास्तव में चूंकि वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कानून को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है, कानून तोड़ने पर उसे ज़्यादा कठोर दंड दिया जाना चाहिए।गलती करने पर पुलिस अधिकारी को दंड देने के अनेक रास्ते हैं। यदि उसने अपराध किया है तो उसे अदालत में पेश किया जा सकता है और किसी भी आम व्यक्ति के समान उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

यदि वह अशिष्ट है या खराब व्यवहार करता है और अपना कार्य अपेक्षित ढंग से नहीं करता है तब वरिष्ठ अधिकारी उसे चेतावनी देकर या उसके वेतन में कटौती कर या उसका रैंक कम कर, उसे निलंबित कर या उसका स्थानान्तरण कर उसे दंड दे सकता है।

36. पुलिस अधिकारी खतरनाक कार्य करते हैं। क्या उनका बीमा किया जाता है?

हां! पुलिस अधिकारियों का बीमा कराया जाता है। सभी पुलिस अधिकारियों को ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा के लिए भुगतान करना होता है। इसका प्रीमियम उनके वेतन से लिया जाता है। ऐसे पुलिस अधिकारी जिनकी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मृत्यु हो जाती है, के परिवार के सदस्यों को भी अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। पुलिस अधिकारी खतरनाक माहौल में काम करते हैं। अनेक मारे जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं। वास्तव में इसवर्ष 800 पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मारे गए। पिछला दशक सबसे खराब था जिसमें औसतन 1,000 पुलिसकर्मी प्रतिवर्ष मारे गए। मारे गए पुलिसकर्मियों में से अधिकतर कांस्टेबल थे।

37. क्या मैं अपनी सुरक्षा के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा ले सकता हूँ?

वास्तव में यदि आप पर गंभीर खतरा है तब आप पुलिस की सेवा ले सकते हैं। कभी–कभी राज्य व्यक्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करती है और कभी–कभी आपको उस सुरक्षा के खर्चे उठाने पडेंगे। पुलिस अधिनियम के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि किसी क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस तैनात की जाए और प्राधिकारी इस बात से सहमत होते हैं तो कुछ समय के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था के लिए आपको भुगतान करना पडेगा। अतः उदाहरण के लिए किसी विवाह या निजी अवसर पर पुलिस उस क्षेत्र में आपके खर्च पर अतिरिक्त पुलिस तैनात करने पर सहमत हो सकती है। परन्तु यदि वह क्षेत्र अपराध प्रभावित है या वहां कोई सार्वजनिक प्रदर्शन या कोई घटना घटने वाली है तो यह पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वहां अतिरिक्त पुलिस तैनात करें और तब किसी भी प्रकार के भुगतान का प्रश्न नहीं उठेगा।

38. क्या पुलिस अधिकारी हर समय ड्यूटी पर होते हैं?

हां! 1861 के पुलिस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधिकारी को सदैव ड्यूटी पर माना जाएगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे कभी भी आराम का समय नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह होता है कि वह जहां कहीं भी हो चाहे वर्दी में या बिना वर्दी के उसे कानून को अवश्य बनाए रखना चाहिए। किसी अपराध को होते हुए देखकर या उसे सहायता के लिए बुलाया जाए तो यह नहीं कह सकता कि "मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ"।

39. क्या पुलिस अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी या आदेश देने के लिए सक्षम अधिकारी जैसे कि जिला कलेक्टर या मंत्री के किसी भी प्रकार के आदेश का अनुपालन करना होगा?

नहीं! पुलिस अधिकारी को किसी आदेश का अनुपालन तभी करनी चाहिए जब वह कानूनी हो। पुलिस अधिकारी को गलत कार्य करने पर ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा भले ही उसे वह काम करने के लिए आदेश मिला हो। वह अपने आप को यह कह कर निर्दोष नहीं ठहरा सकता कि उस गैर–कानूनी काम को करने के लिए उसे किसी अधिकारी ने कहा था। इस तर्क से उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी।

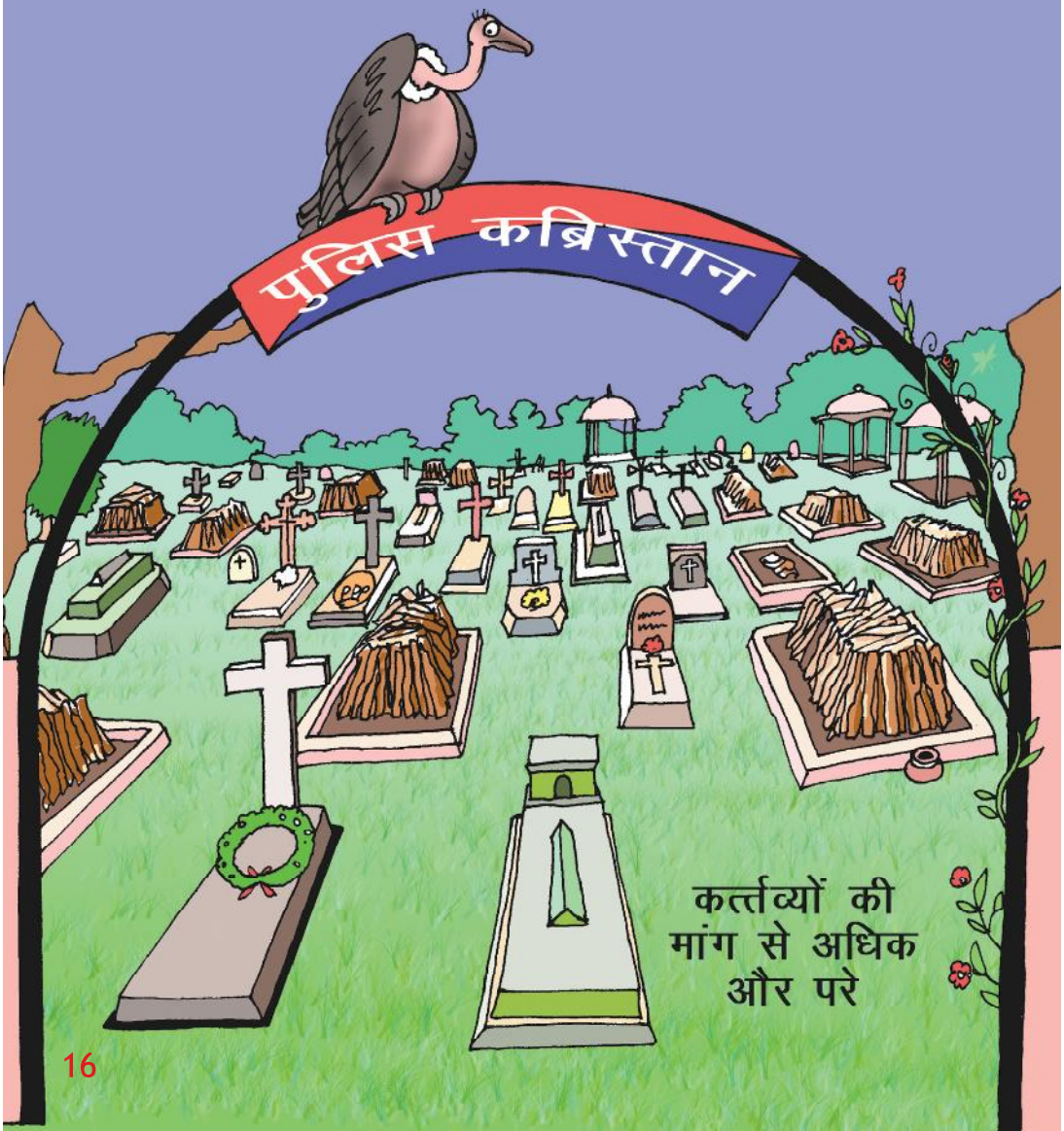

40. क्या पुलिस को सरकारी परिवहन में निःशुल्क यात्रा करने या बिना भुगतान किए, व्यापारियों से सामान लेने की स्वतः अनुमति है?

कुछ–कुछ जगहों पर पुलिस अधिकारियों को सिर्फ ड्यूटी के दौरान सरकारी परिवहन में यात्रा करने के लिए पास दिए जाते हैं। वैसे कोई भी पुलिस अधिकारी निःशुल्क यात्रा करने का हकदार नहीं है। उसी प्रकार किसी भी पुलिस अधिकारी को बाज़ार से सिर्फ इस बात पर सामान उठाने का हक नहीं है कि वह पुलिस अधिकारी है। सभी नागरिकों के समान उसे भी अपनी खरीददारी के लिए भुगतान करना होता है।

41. क्या हमें पुलिस अधिकारी के सभी आदेशों को मानना चाहिए?

हां! यदि वह उसके ड्यूटी से जुड़ा वैध आदेश हो। वास्तव में यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करें विशेषकर तब जब पुलिस अधिकारी किसी झगडे को रोकने की या अपराध को रोकने की कोशिश कर रहा हो या किसी व्यक्ति को उसकी हिरासत से भागने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि वह किसी घोषित अपराधी को पनाह न दें। यदि आप मामले के संबंध में कुछ जानते हैं या कुछ देखे हैं तो आपका यह भी कर्तव्य है कि आप अदालत में गवाही दें।

42. यदि पुलिस अधिकारी मुझे कहीं चलने को कहता है तो क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए?

नहीं! जब कोई पुलिस अधिकारी आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन, जैसे कि, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, सामान ज़ब्त करने या किसी अपराध स्थल की जांच करने में आपको गवाह बनने के लिए चलने को कहता है तो आपको अवश्य जाना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। पारम्परिक तौर पर इसे पंच कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो निष्पक्ष होकर अदालत में कह सकता है कि उसने उस वक्त क्या देखा।

43. यदि कोई पुलिस अधिकारी मुझे पुलिस थाने में बुलाए तो क्या मुझे वहां जाना चाहिए?

नहीं, बिल्कुल नहीं! पुलिस के साथ सहयोग करना अच्छी बात है परन्तु थाना जाना तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक कि पुलिस अधिकारी आपको औपचारिक रूप से गिरफ्तार न करे। अन्यथा यदि वह किसी अपराध के बारे में आपसे प्रश्न पूछना चाहता है या कोई पूछताछ करना चाहता है तो उसे आपको लिखित रूप से सम्मन भेजना होगा। जब तक सम्मन नहीं भेजा जाता आप पर थाना आने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। जहां तक महिला या 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का संबंध है पुलिस उनसे सिर्फ उनके घर में ही पूछताछ कर सकती है।

44. क्या मुझे पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए?

हां! ईमानदारीपूर्वक स्पष्ट तरीके से उत्तर देना और पुलिस को वे सभी बातें बताना जो आप जानते हैं, बेहतर है। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो पुलिस आप पर बयान देने के लिए दबाव नहीं डाल सकती या आपको कुछ स्वीकारने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह सुनिश्चित करना हर समय बेहतर होता है कि जब पुलिस आपसे प्रश्न पूछे कोई न कोई आपके साथ हो।

45. क्या यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि जब मैं परेशानी में हूँ वह मेरी सहायता करे?

हां! 1985 में गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस के लिए आचार संहिता का एक दिशानिर्देश जारी किया गया था तथा यह सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों को भेजा गया। इसमें पुलिस से किसी भी व्यक्ति के धन और सामाजिक हैसियत को ध्यान में रखे बगैर सभी व्यक्ति की सहायता करने की अपेक्षा की गई है। इस आचार संहिता के अनुसार बिना भय और पक्षपात के सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के उनके नियमित कर्तव्यों में लोगों के कल्याण को ध्यान में रखना, उनके प्रति सहृदय और हमदर्द होना, व्यक्तिगत सेवा करना और दोस्ती का हाथ बढ़ाना शामिल है।

46. क्या मैं पुलिस को अपनी पारिवारिक समस्या में मदद के लिए कह सकता हूँ?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या किस प्रकार की है। यदि समस्या अपराध से संबंधित है जैसे कि परिवार में हिंसा, महिला या बच्चे को बुरी तरह पीटना या घर में जबरन घुसना तो पुलिस आपकी अवश्य सहायता करेगी और इनकार नहीं कर सकती। यह नहीं कह सकती कि यह निजी मामला है। परन्तु यदि वयस्क औलाद आज्ञाकारी नहीं है और शादी करने के लिए घर से भाग गए हैं तो यह पुलिस का काम नहीं है कि वह उनका पीछा करे और घर वापस आने पर उन्हें मजबूर करें। यह पूरी तरह पारिवारिक मामला है।

47. यदि पुलिस अधिकारी सहायता नहीं करता या घटना स्थल पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं है तो क्या लोग किसी चोर या अनुचित काम करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे वहीं सज़ा दे सकते हैं?

हां भी और नहीं भी! आप वैसी गिरफ्तारी कर सकते हैं जिसे नागरिक गिरफ्तारी कहते हैं और दोषकर्त्ता को पकड़ सकते हैं और उसे नज़दीकी पुलिस थाना ले जा सकते हैं। आप बस इतना ही कर सकते हैं परन्तु आप दोषकर्त्ता को पीट नहीं सकते या उसे पीटने वाली भीड़ में शामिल नहीं हो सकते। नागरिकों को सिर्फ अपनी सुरक्षा करने का अधिकार हैं। इसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार या आत्म रक्षा का अधिकार कहते हैं। परन्तु इसका भी उचित उपयोग होना चाहिए यह एकतरफा मारपीट या दूसरे पक्ष का अत्यधिक अपमान का रूप नहीं ले सकता और यदि कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करने देता है या ऐसे कार्य में

शामिल होता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होने या आपराधिक आरोप लगाए जाने की संभावना है।

48. यदि पुलिस अधिकारी मेरी सहायता नहीं करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ?

किसी पुलिस अधिकारी को जानबूझ कर कर्तव्य का उल्लंघन या उपेक्षा करने पर कारावास का दंड हो सकता है। यदि पुलिस अधिकारी मदद नहीं करता है और आपको क्षति हुई हो तो आप उसके खिलाफ उसके वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। ऐसे मामले में उसे कर्तव्य की अवहेलना का दोषी पाया जा सकता है।

49. क्या पुलिस अधिकारी वह सभी काम कर सकते हैं जो वह चाहें?

नहीं! बिल्कुल नहीं! वे सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो वैध हो। वास्तव में वे अनेक नियमों से बंधे होते हैं। इसमें उनके अपने विभागीय विनियम, दंड संहिता के कानून, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश और मानव अधिकार आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं शामिल है।

50. परन्तु यदि पुलिस अधिकारी उन नियमों का अनुपालन नहीं करता है तो क्या होगा?

आप उसके वरिष्ठ अधिकारी से या मामले की गंभीरता को देखते हुए मैजिस्ट्रेट से उसकी शिकायत कर सकते हैं। लिखित शिकायत करना और उस शिकायत की रसीद लेना सदैव बेहतर रहता है।

51. मैं किस प्रकार की शिकायत कर सकता हूं?

आप पुलिस अधिकारी द्वारा किए किसी भी गलत कार्य की शिकायत कर सकते हैं क्योंकि वह एक लोक सेवक है जो पूरे समय अपनी ड्यूटी करने के लिए बाध्य है। वह अपने ड्यूटी की अवेहलना नहीं कर सकता और न ही इसमें देरी कर सकता है।

52. यदि पुलिस अधिकारी अशिष्ट है और हमारा अपमान करता है तब क्या होगा?

पुनः यदि यह मामला कर्तव्यों की अवेहलना का या अनुशासन का है तो आप उसके वरिष्ठ अधिकारी से उसकी शिकायत कर सकते हैं। परन्तु यदि यह उससे भी अधिक गंभीर है या अपराध है तो आप या तो पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और स्थानीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

53. परन्तु यदि मैं स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराता हूं तो क्या वहां के पुलिसकर्मी अपने अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से मना कर सकते हैं?

हां! इस तरह की बातें अक्सर होती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। आप उसके अभद्र या अशिष्ट व्यवहार या कर्त्तव्यों की अवेहलना या पुलिस शक्ति के दुरुपयोग की शिकायत पुलिस प्रमुख से कर सकते हैं या फिर यदि मामला अपराध का है तो आप नजदीकी मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं।

54. परन्तु क्या मामले को अदालत मे ले जाना काफी कठिन है और इसमें काफी समय लगता है?

पुलिस के खिलाफ शिकायत करने को सरल बनाने और इस प्रक्रिया को आसान और त्वरित बनाने के लिए कुछ राज्यों ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किए है। यह एक विशेष निकाय है जो पुलिस के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों को देखता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पुलिस के खिलाफ शिकायत को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठित अन्य आयोगों में ले जा सकता है। इनमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और इसी प्रकार के राज्य के आयोग और बाल आयोग शामिल हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, लोक आयुक्त और राज्य सतर्कता विभाग है। ये आयोग आपकी शिकायतों पर ध्यान देंगे, जांच करेंगे और अपनी शक्तियों के अनुसार पुलिसकर्मी के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। यह आयोग पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकते है।

55. यदि मैं पुलिस को किसी अपराध के बारे में बताना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा?

यदि यह चोरी या सेंधमारी, लड़कियों से छेड़खानी, हमला, बच्चों से छेड़खानी, बलात्कार, अपहरण, मानव दुर्व्यावहार और दंगे जैसे गंभीर अपराध का मामला है तो आप स्थानीय पुलिस थाने के प्रमुख के पास सीधे एफ आई आर दर्ज करा सकते हैं। वे इसे रजिस्टर करके आपको इसकी एक प्रति देने के लिए कानूनन बाध्य है। आप अपनी शिकायत लेकर मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, वह इसे दर्ज करेगा।

56. एफ. आई. आर. क्या होता है?

यह फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) का संक्षिप्त नाम है। कोई पीड़ित व्यक्ति, गवाह या संज्ञेय/काग्निजेबल अपराध की घटना के बारे में जानने वाला कोई अन्य व्यक्ति एफ आई आर दर्ज करा सकता है। आप एफ आई आर में घटना के बारे में जो बताते हैं पुलिस उस आधार पर घटना के बारे में जांच शुरू करती है और तथ्य इक्ट्ठा करती है ताकि अगर कोई अपराध बनता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके।

57. क्या मुझे एफ आई आर दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस थाने में जाना होगा या मैं किसी भी पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज करा सकता हूं?

आप किसी भी पुलिस थाना में एफ आई आर दर्ज करा सकते हैं परन्तु स्थानीय पुलिस थाना जिसके क्षेत्राधिकार में वह स्थान आता है जहां अपराध घटा है, जाना बेहतर है क्योंकि सम्बन्धित थाना जल्दी कार्यवाही करने की स्थिति में होगा। अगर आप किसी अन्य थाने में एफ. आई. आर. दर्ज करवाते हैं तो वह इसे दर्ज करके सम्बंद्ध थाने को भेजने के लिए बाध्य है। वे इस बात पर आपका एफ आई आर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते कि अपराध उनके क्षेत्र में नहीं हुआ है।

58. क्या पुलिस मेरी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर सकती है?

हां! और नहीं भी! भारत में अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय दो प्रकार के होते हैं। संज्ञेय अपराध हत्या, बलात्कार, दंगा, डकैती आदि जैसे अपराध को कहते हैं जिसका अर्थ है कि पुलिस सीधे उसका नोटिस ले सकती है। एफ. आई. आर. दर्ज कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। असंज्ञेय अपराध, धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी, दो विवाह का मामला, सामान कम तोलना या मिलावटी सामान बेचना, जन अशांति पैदा करना जैसे अपराध को कहते हैं जिसका अर्थ है कि जांच तभी शुरू होगी जब मैजिस्ट्रेट ने शिकायत को रिकार्ड कर लिया है और पुलिस को जांच करने का निदेश दिया है। दोनों प्रकार के अपराध के इस अंतर को समझने का तरीका यह है अपराध जिस पर तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, उसके बारे में पुलिस को सीधे शिकायत की जा सकती है और दूसरे अपराधों पर शिकायत के लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाना होता है। अतः यदि पुलिस आपकी शिकायत को सीधे दर्ज नहीं करती तो कम से कम इसे सुनेगी और अपनी दैनिक डायरी में आपके मामले को लिखेगी। आपको उसकी एक प्रति निःशुल्क देगी और आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाने को कहेगी।

59. यदि मेरी शिकायत संज्ञेय अपराध के बारे में है परन्तु थाना अधिकारी इसे दर्ज करने से इनकार करता है तो मैं क्या कर सकता हूं?

आप वरिष्ठ अधिकारी/जिला पुलिस प्रमुख या नजदीकी न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत ले जा सकते हैं और वे इसे दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी शिकायत रिकार्ड हो और इस पर कार्रवाई हो, शिकायत को स्वयं अपने हाथ से दें और यदि आप इसे डाक से भेजते हैं तो पावति रजिस्टर डाक से भेजें। किसी भी प्रकार इसकी एक रसीद लें जो इसका सबूत होगा कि शिकायत की गई है और इस रसीद को सुरक्षित रखें। यह इस बात को दर्शाएगा कि शिकायत वास्तव में सम्बद्ध अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई है। इससे आपकी शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा लेकिन आपको इस संबंध में भी शिकायत करनी चाहिए कि शिकायत दर्ज करने में आपको कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। ऐसा करने पर संभावना है कि वह अधिकारी दुबारा ऐसा व्यवहार न करे।

60. एफ. आई. आर. में क्या शामिल किया जाना चाहिए?

एफ. आई. आर. आपके द्वारा दिए गए वे तथ्य हैं जो आप जानते हैं या जिसके बारे में आपको बताया गया है। यह बेहतर होता है कि आपको तथ्यों की प्रत्यक्ष जानकारी हो लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपने स्वयं घटना को देखा हो। जो कुछ भी हो आपको सिर्फ

सही जानकारी देनी चाहिए। तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर न बताएं या कल्पना न करें या निष्कर्ष न निकालें। घटना का स्थान, तारीख और समय बताएं। इसमें शामिल हर व्यक्ति की भूमिका के बारे में सावधानीपूर्वक बताएं, बताएं कि वे कहां थे, वे क्या कर रहे थे, बताएं कि हर व्यक्ति ने क्या–क्या किया और यह भी बताएं किस प्रकार का नुकसान हुआ और सम्पत्ति की क्या हानि हुई। यह बताना न भूलें कि किस प्रकार का हथियार इस्तेमाल किया गया। बेहतर होगा इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को यथाशीघ्र रिकार्ड किया जाए। यदि शिकायत को रिकार्ड करने में कुछ देरी होती है तो सुनिश्चित करें कि देरी का कारण भी लिखा जाए।

61. मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि पुलिस ने वो सभी बातें सही–सही लिखी है जो मैंने कहा है?

याद रखें एफ आई आर उन चीजों के बारे में आपका बयान होता है जो आप जानते हैं यह किसी घटना के बारे में पुलिस का बयान नहीं होता। पुलिस का काम इसमें बिना कोई बात जोडे या निकाले घटना को सही–सही लिखना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए कानून में अपेक्षित है कि पुलिस अधिकारी एफ.आई.आर पढ़ कर आपको सुनाए और जब आप उन लिखी हुई बातों से सहमत हों आप तभी उस पर हस्ताक्षर करें। उसकी सच्ची प्रतिलिपि पुलिस द्वारा आपको निःशुल्क दी जाती है। एफ. आई. आर. एक एफ. आई. आर. रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और इसकी प्रति वरिष्ठ अधिकारियों और मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है।

62. क्या महिलाओं के एफ.आई.आर. को दर्ज करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया है?

जी हां, कतिपय मामलों में। इस बात को मानते हुए कि महिलाओं के लिए थाने जाना और वहां एफ.आई.आर. दर्ज कराना आसान नहीं है कानून यह अपेक्षा करता है कि जब कोई महिला बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, पीछा किए जाने, गलत दृष्टि से देखे जाने, यौन उत्पीड़न, उसकी इज्जत लूटने के आशय से उस पर हमला करने अथवा उस पर तेजाब फेंके जाने के बारे में शिकायत करे तो उसके एफ.आई.आर. को केवल महिला पुलिस अधिकारी या अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। यदि पीड़ित महिला मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाने की भी जरूरत नहीं है। इसके बजाए पुलिस को उसकी शिकायत रिकार्ड करने के लिए उस महिला के घर या उसके पसन्द के स्थान पर जाना होगा। पुलिस को महिला की जरूरत के अनुसार विशेष शिक्षक या सलाहकार की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी महिला के बयान का वीडियो भी तैयार किया जाना चाहिए।

63. क्या होगा यदि पुलिस ऐसी एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार कर दे?

ऐसा पुलिस अधिकारी जो किसी महिला के किसी भी प्रकार के यौन अपराध की शिकायत को दर्ज नहीं करता है और यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे छः महीने से दो वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है और उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा।

64. यौन दुराचार के शिकार बच्चों के मामलों पर कैसे कार्रवाई होती है? क्या इन मामलों पर पुलिस कोई विशेष प्रक्रिया अपनाती है?

जी हां, निःसन्देह! लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में बालकों के खिलाफ अपराध की सूचना देने, साक्ष्य का रिकार्ड करने, जांच करने और सुनवाई के लिए वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो बालकों के लाभ के लिए है।

ज्योंही शिकायत दर्ज की जाती है किशोर अपराध पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस बालक के घर या उसके पसन्द के स्थान पर उसका बयान दर्ज करेगी। यह बयान प्राथमिक तौर पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए जिसका रैंक सब–इंस्पेक्टर से कम न हो। बालक का बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी को वर्दी में नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बालक को किसी भी कारणवश रात में थाने में रोककर नहीं रखा जा सकता है। बालक का बयान उसी भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए जो बालक समझता हो। यदि जरूरत हो तो पुलिस को बालक की जरूरत के अनुसार एक भाषान्तरकार या अनुवादक या किसी विशेषज्ञ की सहायता अवश्य देनी चाहिए।

यदि किशोर अपराध पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस यह महसूस करती है कि बालक को देखभाल या सुरक्षा की जरूरत है तो पुलिस को उस बालक को सुधार गृह या अस्पताल भेजने की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को वहां भेजने से पहले पुलिस को लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड करने चाहिए।

यदि बालक को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है तो उसकी जांच बालक के माता–पिता की उपस्थिति में अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में करनी चाहिए जिस पर बालक का विश्वास है। यदि पीड़ित बालिका है तो उसकी चिकित्सा जांच महिला डॉक्टर द्वारा ही की जानी चाहिए।

65. एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद उसका क्या होता है?

एफ. आई. आर. पुलिस की जांच को शुरू करता है। पुलिस पीड़ित से बात कर सकती है। मरते वक्त दिए बयान सहित अन्य बयान रिकार्ड कर सकती है, अपराध स्थल की जांच करती है, सबूतों को फारेंसिक जांच के लिए भेज सकती है और शवों को यदि आवश्यक हुआ, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अनेक लोगों से पूछताछ कर सकती है और हर इस काम से जांच आगे बढ़ती है। जांच पूरी होते ही प्रभारी अधिकारी इसे पूरा रिकार्ड करता है। इसे चालान या आरोप पत्र कहते हैं।

66. चालान या आरोप पत्र क्या होता है?

सारी जांच पूरी कर लेने के बाद प्रभारी अधिकारी सभी तथ्यों को देखता है और निर्णय लेता है कि क्या यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि कोई अपराध घटित हुआ है और वह उसे अभियोजन और अदालत में पेश करने के लिए आरोप पत्र में दर्ज करता है। यदि अपराध के सभी सबूतों की पहचान नहीं कर ली गई है तो आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने का फायदा नहीं होगा। आरोप पत्र जब अभियोजन और अदालत के सामने पेश किया जाता है तो उन्हें निष्पक्ष जांच करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अपराध होने का पता चलता है या नहीं।

67. क्या पुलिस मेरी शिकायत को बंद कर सकती है और उस पर आगे कोई कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है?

हां! यदि पुलिस अपनी जांच पूरा करने के बाद यह निर्णय लेती है कि कोई ऐसा तथ्य मौजूद नहीं है जो यह सिद्ध करे कि कोई अपराध हुआ है या आरोप के समर्थन के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नही है या यह सिद्ध कर देती है कि कोई अपराध हुआ है परन्तु जिसने अपराध किया है उसका पता नहीं चल सका तो वह मामले को बंद कर सकती है। परन्तु उन्हें आपको निर्णय की जानकारी अवश्य देनी चाहिए। तब आप न्यायालय के समक्ष उस मामले को बंद करने का विरोध कर सकते हैं।

68. क्या मुझे मेरे मामले के बारे में जानकारी दी जाती रहेगी?

विधि में ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है जिससे पुलिस अधिकारी के लिए यह जरूरी हो कि उसे

आपके मामले की प्रगति के बारे में आपको जानकारी देते रहना चाहिए। परन्तु शिकायतकर्त्ता को इस बारे में जानकारी देते रहना एक अच्छी प्रथा है कि उसकी शिकायत पर क्या प्रगति हो रही है बशर्ते कि इससे जांच पर कोई असर न पड़ता हो।

69. मैं क्या कर सकता हूं यदि पुलिस मेरे मामले की जांच नहीं करती है या काफी धीमी जांच कर रही है या फिर जांच के सबसे महत्वपूर्ण आधार का परीक्षण करने से इनकार करती है?

कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस की जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि पुलिस जांच में आगे बढ़ने से इनकार करती है या काफी धीमी गति से जांच करती है या जानबूझ कर जांच के महत्वपूर्ण आधार को अनदेखा करती है तो आप उसके वरिष्ठ अधिकारी या नजदीकी मैजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते है जो पुलिस अधिकारी को जांच करने के आदेश दे सकता है और साथ ही वह जांच संबंधी रिकार्ड भी

मांग सकता है। साथ ही आपके लिए यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है आप हर काम लिखित रूप से करे और संबंधित कागजातों की रसीद संभाल कर रखें।

70. मैं जब कभी भी चाहूं क्या पुलिस अधिकारी को बुला सकता हूं?

हां! और नहीं भी! पुलिस के पास बहुत अधिक काम होता है और उनकी संख्या भी काफी कम होती है। अतः नागरिक उन्हें छोटी–मोटी शिकायतों और आधारहीन सूचना के आधार

पर बार–बार नहीं बुला सकते। परन्तु यदि आप कठिनाई में हैं, यदि कोई अपराध हुआ है या हो रहा है यदि किसी दंगे के होने की संभावना है, यदि कुछ लोग लड़ रहे हैं और वहां शांति भंग होने की संभावना है या फिर आपको कोई गंभीर जानकारी देनी हो तो आप पुलिस को बुला सकते हैं।

परन्तु आप पुलिस को किसी ऐसे काम के लिए नही बुला सकते जो उसके कर्त्तव्यों से न जुड़ा हो। कभी–कभी लोग शरारत भी करते हैं और कोई घटना न भी घटी हो तब भी पुलिस को फोन कर देते हैं। ऐसा करने पर उन्हे सजा भी दी जा सकती हैं।

71. क्या कोई पुलिस अधिकारी बगैर पूछे मेरे घर में घुस सकता है, मेरे घर की तलाशी ले सकता है और सामान उठा कर ले जा सकता है?

केवल कुछ सीमित परिस्थितियों में ही। यदि पुलिस आपके घर में पूछताछ के लिए आती है तो वह आपके कहने पर ही आपके घर में प्रवेश करेगी। यदि पुलिस के पास यह विश्वास करने के समुचित आधार हैं कि आपने किसी संदिग्ध या अपराधी को छुपा रखा है या आपके घर में चोरी का सामान है या गैर–कानूनी हथियार है तब भी वह मैजिस्ट्रेट से तलाशी वारंट लेकर ही आपके घर में प्रवेश कर सकती है। परन्तु यदि उस संदिग्ध व्यक्ति अपराधी या सामान को तत्काल हासिल करना हो और इस बात का भय हो कि अपराधी के भागने अथवा यदि जब्ती नहीं हुई तो सामान के गुम हो जाने की संभावना है तो वह आपके घर में बिना वारंट के प्रवेश कर सकती है।

72. इसका अर्थ है कि पुलिस मेरे घर में प्रवेश कर सकती है और कोई भी सामान उठाकर ले जा सकती है?

नहीं! जब वास्तविक रूप से जरूरत हो तभी पुलिस बिना वारंट के आपके घर में प्रवेश कर सकती है जैसे कि इस बात की वास्तविक संभावना हो कि संदिग्ध व्यक्ति भाग जाएगा या फिर सबूत के नष्ट होने की संभावना हो। वारंट सहित या बगैर वारंट के किसी के घर में प्रवेश के लिए पूरी प्रक्रिया होती है। पुलिस के पास कम से कम दो निष्पक्ष स्थानीय गवाह होने चाहिए। तलाशी मकान के स्वामी की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। मकान के स्वामी को घर से दूर जाने के लिए नही कहा जा सकता। पुलिस को जब्त सामान की सूची बनानी चाहिए। गवाह, पुलिस और स्वामी को जब्त किए गए सामन को सत्यापित करते हुए सूची पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उसकी एक प्रति स्वामी को देनी चाहिए। यदि घर में पर्दा करने वाली महिलाएं हों तो तलाशी दल में महिला अधिकारी अवश्य शामिल होनी चाहिए और उन्हें पूरी सभ्यता से तलाशी करनी चाहिए।

73. तलाशी वारंट क्या होता है?

लोगों का घर और कार्यालय निजी स्थान होता है और जो किसी भी प्राधिकारी के लिए बिना किसी वास्तविक कारण के तलाशी के लिए खुला नहीं है। अतः कानून अपेक्षा करता है कि कोई भी प्राधिकारी जो निजी स्थान में प्रवेश करना चाहता हो वह स्पष्ट करे कि वह उसके इस अधिकार का हनन क्यों करना चाहता है। अतः पहले पुलिस को मैजिस्ट्रेट के पास जाना होता है और अपने इस कारण को स्पष्ट करना होता है कि उस परिसर में सामान, कागजात या व्यक्ति छुपे हैं जो उन्हें अपराध को सुलझाने में मदद करेंगे। यदि मैजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि पुलिस अधिकारी अंधेरे में तीर नहीं चला रहा है तो वह उसे अनुमति देगा। यह अनुमति काफी सीमित होती है और इसमें उसे विशेष अधिकारी का नाम और रैंक लिखा होता है जिसे उस विशेष स्थान में प्रवेश करने की अनुमति होती है और इस पर अदालत के हस्ताक्षर और सील होती है।

74. यदि मैं सड़क पर चल रहा हूं तो क्या कोई पुलिस अधिकारी मुझे रोक सकता है और मुझसे कुछ भी पूछ सकता है?

नहीं! आमतौर पर पुलिस से ऐसे आम आदमियों के मामले में हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हों। परन्तु यदि पुलिस यह देखती है कि कोई व्यक्ति किसी जगह अंधेरे के बाद यूं ही घूम रहा है तो उसे उस व्यक्ति को रोकने और उसका नाम पूछने और वह वहां क्या कर रहा है यह पूछने और यदि उसे कुछ संदिग्ध लगे तो उसे गिरफ्तार करने का पुलिस को अधिकार है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और आदतन अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए इस शक्ति का अक्सर इस्तेमाल करती है। पुलिस सुधार समितियों ने इस शक्ति के अत्यधिक इस्तेमाल पर चर्चा की है और इस अधिकार के ज्यादा उपयोग की निन्दा भी की है।

75. क्या पुलिस मुझे किसी प्रदर्शन या नुक्कड़ बैठक में भाग लेने से रोक सकती है?

कोई भी व्यक्ति आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से नहीं रोक सकता। परन्तु आमतौर पर प्रदर्शन के लिए स्थानीय पुलिस से पहले अनुमति लेनी चाहिए। यदि पुलिस यह महसूस करती है कि संभावना है कि यह प्रदर्शन शांति भंग करेगा या उग्र हो जाएगा तो वह इसे आयोजित करने से सीधे मना कर सकती है। यदि अनुमति के बाद यह प्रदर्शन अशांति पैदा करे तो वह इसे रोक सकती है और लोगों को चले जाने को कह सकती है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो वह कार्रवाई कर सकती है। एक ओर तो पुलिस का यह कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सब कुछ शांत रहे दूसरी ओर उनका यह भी कर्त्तव्य है कि वह नागरिकों को शांतिपूर्ण सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के उनके मौलिक अधिकार के उपयोग में उनकी सहायता करे।

76. क्या पुलिस नुक्कड़ बैठक या प्रदर्शन को तितर–बितर करने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है?

हां, परन्तु पुलिस जो भी कार्य करें उसे औचित्यपूर्ण होना चाहिए। उनका कार्य वहां लोगो को दंड देना नहीं है। उनका कार्य वहां जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है और यह देखना है कि वहां कानून व्यवस्था भंग न हो। अतः नियम यह है कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित

करने के लिए बल का प्रयोग अंतिम साधन के रूप में ही करे। यदि इसका इस्तेमाल अनिवार्य हो तो भी न्यूनतम बल का प्रयोग ही किया जाना चाहिए, यह बल प्रयोग परिस्थिति के अनुपात में हो और इसे शीघ्रताशीघ्र रोक दिया जाना चाहिए। वास्तव में सिर्फ एक कार्यपालक मैजिस्ट्रेट या पुलिस थाना प्रभारी या प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी, जो सब–इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का न हो, इन परिस्थितियों में बल प्रयोग का आदेश दे सकता है।

77. क्या पुलिस अपनी इच्छा से गोली चला सकती है?

नहीं! बिल्कुल नहीं! अत्यधिक बल का प्रयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है जब नियंत्रण के सभी साधनों का इस्तेमाल हो चुका हो और वे असफल हो गए हों। पुनः ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट या प्रभारी अधिकारी ही ऐसी कार्रवाई का आदेश दे सकता है।

78. अगर भीड़ उग्र हो जाती है और पत्थर फेंकती है या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रही है तो पुलिस क्या कर सकती है?

पुलिस का काम जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करना है परन्तु वह अपनी कार्रवाई किस प्रकार करे, इसकी कुछ प्रक्रिया है। सर्वप्रथम, उसे भीड़ को तितर–बितर होने के लिए कई बार चेतावनी देनी होगी। साथ ही समय भी देना होगा ताकि भीड़ तितर–बितर हो सके। यदि भीड़ तब भी तितर–बितर न हो तो एक और अन्तिम चेतावनी देनी चाहिए और तब

आंसू गैस छोड़ी जानी चाहिए या लाठी चलायी जानी चाहिए। लाठी का प्रहार सिर या कंधे पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि कमर से नीचे किया जाना चाहिए। यदि पुलिस गोली चलाने जा रही है तब एक स्पष्ट चेतावनी देनी चाहिए कि गोली चलायी जाएगी। यहां भी नियम है कि न्यूनतम बल का प्रयोग हो और गोली का लक्ष्य कमर से नीचे होना चाहिए। गोली का लक्ष्य भीड़ के सबसे उग्र हिस्से की ओर होना चाहिए गोली चलाने का उद्देश्य किसी की मृत्यु नहीं बल्कि भीड़ को तितर–बितर होना चाहिए। ज्योंहि भीड़ तितर–बितर करना होने लगे गोली चलानी बंद कर देनी चाहिए। जख्मी व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए और इस पूरी कार्रवाई पर प्रत्येक अलग अधिकारी को अपनी भूमिका की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए ताकि उसे रिकार्ड में रखा जा सके।

79. क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर किसी गुप्त स्थान में रख सकती है या इस सूचना को गुप्त रख सकती है कि उसने मुझे पकड़ा है?

नहीं! हालांकि पुलिस अक्सर ऐसा काम करती है परन्तु यह कानून के विरुद्ध है। ज्योंही पुलिस आपको अपनी हिरासत में लेती है आपकी शारीरिक देखभाल और आपके अधिकारों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। यदि आपको कोई नुकसान होता है या आपके अधिकारों का सम्मान नहीं होता है और किसी न किसी प्रकार उनका हनन होता है तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होती है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि यह एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा है। अगली बात, यह तथ्य है कि पुलिस उन सभी व्यक्तियों का रिकार्ड अपने थाने के साधारण डायरी में रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जिन्हें वहां लाया जाता है। यह दर्शाएगा कि आपको पूछताछ के लिए कब लाया गया था और कब आपकी गिरफ्तारी की गई थी। यह जांच अधिकारी की केस डायरी में भी दर्ज होगा। पुलिस कंट्रोल रूम को पिछले बारह घंटे के दौरान सभी गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची प्रदर्शित करनी चाहिए। अंत में यह तथ्य कि आप जांच के दौरान एक वकील की सेवा लेने के पात्र हैं का अर्थ कम–से–कम यह होता है कि हिरासत में रखे गए स्थान का पता मित्रों या रिश्तेदारों को होना चाहिए और वह स्थान उनकी पहुंच में होना चाहिए।

80. क्या पुलिस अधिकारी मुझे थाना में रख सकता है और क्या मैं अपनी इच्छा से वहां से जा सकता हूं?

जब तक कि आप किसी पर्याप्त कारण के औपचारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किए गए हैं आप अपनी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में नहीं रखे जा सकते। यदि पुलिस ने आपको पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है तो यह आपका कर्त्तव्य है कि आप उनके साथ सहयोग करें और जांच में उनकी सहायता करें। परन्तु पूछताछ तुरन्त की जानी चाहिए और तुरन्त पूरी होनी चाहिए न कि पुलिस अनिश्चित समय तक पूछताछ करती रहे। पुलिस आपको थाना में ज्यादा समय तक इन्तजार नहीं करा सकती। जब आप चाहें आप जा सकते हैं।

81. यदि पुलिस अधिकारी मुझे जाने नहीं देता तो मैं क्या करूंगा?

यदि आप औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किए गए हैं तो अपनी इच्छा के विरुद्ध आपको एक क्षण के लिए भी थाने में हिरासत में रखना एक गंभीर अपराध है। इसे गैर–कानूनी रूप से रोककर रखना कहते हैं और आप या आपके परिवार के सदस्य या आपके मित्र उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ उसके वरिष्ठ अधिकारी को या मैजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने वकील, परिवार या मित्रों के द्वारा तत्काल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और आपकी तत्काल रिहाई के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते हैं।

82. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) क्या होता है?

यह उन लोगों के लिए काफी पुराना समाधान है जो शक्तिशाली शासकों के एजेंटों (पुलिस) द्वारा उठा लिए जाते हैं और उनके परिजन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ "व्यक्ति को पेश करना" है। यह अवैध बंदीकरण का एक व्यवहारिक उपचार है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तात्कालिकता के आधार पर इसका निपटान करता है। न्यायालय को किसी व्यक्ति के गुम हो जाने संबंधी आवेदन मिलने का अर्थ यह होता है कि पीड़ित व्यक्ति अंतिम बार पुलिस की हिरासत में देखा गया था। न्यायालय उस व्यक्ति को अपने समक्ष तत्काल पेश करने का आदेश पुलिस को देगा और यदि कैद को उचित नहीं ठहराया जाता तो उसे छोड़ देगा। यदि कैद गैर–कानूनी है तो न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा भी दे सकता है।

83. किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाने का क्या अन्य तरीका भी है जिसे गैर–कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया हो और मुझे पता न हो कि उसे कहां रखा गया है?

हां! आप पुलिस थाना में सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं जिसमें आप उस व्यक्ति के पता ठिकाने के बारे में जानकारी मांगें। चूंकि यह जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है इसलिए पुलिस आपको 48 घंटे के अंदर सूचना देने के लिए बाध्य है।

84. क्या पुलिस अधिकारी बिना किसी समुचित कारण के मुझे गिरफ्तार कर सकती है?

नहीं! पुलिस गिरफ्तारी तभी कर सकती है जब तक गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार हों।एफ आई आर में किसी का नाम डाल दिया जाना ही गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं होता है। आपको गिरफ्तार किए जाने के लिए और अधिक सबूत की आवश्यकता होती है।

दूसरी बात यदि किसी व्यक्ति पर सन्देह है कि उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें सात साल तक दंड की संभावना है तब पुलिस अधिकारी तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं

कर सकता जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि उसे गिरफ्तार करना इसलिए जरूरी है ताकि उसे और अपराध करने से या साक्ष्य से छेड़खानी करने से रोका जा सके। यदि पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने या न करने का निर्णय लेता है तो उसे लिखित रूप से इसका कारण देना होगा।

85. यदि पुलिस मुझ पर संदेह करती है कि मैंने कोई अपराध किया है तो क्या वह मेरे परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार कर सकती है?

नहीं! कभी नहीं! संबंध होने से ही कोई दोषी नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति के दोषी होने या निर्दोष होने पर निर्णय उस व्यक्ति के स्वयं के कार्यों के अनुसार लिया जाना चाहिए और इस बात पर नहीं कि वह किसी संदिग्ध व्यक्ति का निकटस्थ है या संबंधी है। किसी भी व्यक्ति की आजादी बिना किसी विशेष कानूनी कारण के नहीं छीनी जा सकती। पुलिस किसी परिवार के सदस्य को या मित्र को धमकी नहीं दे सकती और आरोपी के ऐवज में उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती है। इस तरह की हिरासत को गैर–कानूनी, बंदीकरण या अपहरण जैसा गंभीर अपराध माना जाएगा। चाहे कितना भी कठिन मामला हो पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को आत्म–समर्पण करने या अपना अपराध स्वीकार करने के लिए गैर–कानूनी रास्ते नहीं अपना सकती। सिर्फ वैसे ही व्यक्ति गिरफ्तार हो सकते हैं जिनके खिलाफ यह मानने के पर्याप्त आधार है कि उन्होंने अपराध किया है।

86. क्या महिलाओं की गिरफ्तारी और हिरासत में उनके साथ व्यवहार के लिए कोई विशेष नियम है?

बिल्कुल है! किसी भी महिला को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने का कोई अति विशेष कारण न हो। इसके बावजूद मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है जो यह अनुमति यह संतुष्ट होने के बाद देता है कि गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण हैं। गिरफ्तारी करते समय महिला पुलिस अधिकारी का उपस्थित रहना जरूरी है। उस महिला को पुलिस थाने में एक अलग हवालात में रखा जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की जांच या शारीरिक तलाशी आदि किसी महिला पुलिस अधिकारी या डॉक्टर द्वारा ही की जानी चाहिए। यह पुलिस अधिकारी के ही हित में होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि महिलाओं से संबंधित सभी प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन हो और रिकार्ड रखा जाए। कानून कहता है कि यदि हिरासत में रखी गई महिला उदाहरण के लिए बलात्कार की शिकायत करती है तो इस शिकायत को तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक कि पुलिस अधिकारी यह सिद्ध न करे कि यह घटना नहीं घटी है।

87. क्या बच्चों के लिए कोई विशेष प्रक्रिया है?

साधारण विधि के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपराध के आरोपी नही हो सकते। अतः स्वाभाविक तौर पर उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तथापि 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों से पूछताछ, गिरफ्तारी, हिरासत, रिहाई, जमानत, किशोर न्याय (बाल देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2002 के अनुसार होती है।

प्रत्येक पुलिस थाने में विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों सहित किशोर अपराधी पुलिस इकाई अवश्य होनी चाहिए। वे बच्चों की देखभाल और कल्याण के लिए जिम्मेदार होते है जिन्हें कभी भी हवालात में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाए बच्चों को आश्वासन और जमानत पर माता–पिता को तत्काल सौंप दिया जाना चाहिए। यदि माता–पिता, उपलब्ध न हो और इस बात का खतरा हो कि बच्चा गलत हाथ में पड़ सकता है तो बच्चे को अगली बार किशोर अपराध न्यायालय में पेश किए जाने तक स्थानीय ऑब्जरवेशन होम में भेजा जाना चाहिए। कानून में बच्चे के साथ व्यवहार को विनियमित करने का प्रमुख सिद्धांत यह है कि सभी प्रक्रिया में बच्चे के पुनर्वास के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित में बाल अनुकूल अवधारणा होनी चाहिए।

88. यदि पुलिस मुझे गिरफ्तार करती है तो क्या वह जब तक चाहे मुझे गिरफ्तार रख सकती है?

बिल्कुल नहीं! पुलिस आपको अपने थाने में अधिकतम 24 घंटे तक ही गिरफ्तार रख सकती है और यह अधिकतम अवधि है। पुलिस को अपनी हिरासत में लिए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी को उचित ठहराने वाले सभी कागजातों के साथ 24 घंटे के अन्दर उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए।

89. तब लोगों को शुक्रवार की शाम क्यों गिरफ्तार किया जाता है और अगले सोमवार तक हवालात में क्यों रखा जाता है?

इस तरह की गैर–कानूनी प्रथा को जारी रखने के लिए पुलिस यह सफाई देती है कि सप्ताहान्त में कोई मैजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होता। परन्तु वास्तव में एक मैजिस्ट्रेट हर दिन और हर समय उपलब्ध होता है। हिरासत में रखे गए व्यक्ति जिसकी 24 घंटे की सीमा नियमित न्यायालय के समय के बाद खत्म हो रही है उसको मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसके घर में पेश किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट आरोपी को देखने से इनकार नहीं कर सकता।

90. कोई भी व्यक्ति कैसे जानेगा कि मैं कहा रखा गया हूं?

कानून में अनेक सुरक्षा उपाय हैं ताकि आप इस प्रणाली में कहीं खो न जाएं। ज्योंही पुलिस आपको गिरफ्तार करती है उसे अनेक काम करने होते है। उसे एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना चाहिए और उसे स्थानीय मैजिस्ट्रेट को भेजना चाहिए। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको तत्काल एक वकील की सेवा मिले चाहे वह आपका अपना वकील हो या विधिक सहायता प्रणाली का हो। पुलिस को आपके परिवार के सदस्य को या आपके मित्र को जैसा आप चाहें यह सूचना देनी होगी कि आप कहां रखे गए हैं। ये सभी बातें कानून द्वारा निर्धारित की गई हैं ताकि पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को कम किया जा सके। यदि पुलिस इन नियमों का अनुपालन नहीं करती तो उसे अदालत में जवाब देना होगा।

इसके अतिरिक्त पुलिस को जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के बाहर नोटिस बोर्ड पर सभी गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम और पता तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों का नाम और पदनाम प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य के पुलिस मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में आम नागरिकों की जानकारी के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों और उनके अपराधों का डाटा रखा जाना चाहिए।

91. मेरे लिए गिरफ्तारी ज्ञापन का क्या उपयोग है?

यह गैर–कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय है। गिरफ्तारी ज्ञापन में आपका नाम, गिरफ्तारी का समय, दिनांक और स्थान, इसका कारण और संदिग्ध अपराध का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें पुलिस, दो गवाह और आपका हस्ताक्षर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि रिकार्ड में सही–सही तथ्यों को दर्ज किया गया है। यह मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है और जब मैजिस्ट्रेट आपसे पहली बार मिलता है तब वह यह जांच करता है कि जो कुछ भी कहा गया है वह सही है। पुलिस को एक निरीक्षण ज्ञापन भी तैयार करना होता है।

92. निरीक्षण ज्ञापन क्या होता है?

यह हिरासत में लिए जाने के समय से आपकी वास्तविक स्थिति का एक संक्षिप्त ब्यौरा होता है। यह उम्मीद की जाती है कि आपकी सामान्य शारीरिक स्थिति तथा बड़े और छोटे जख्मों का ब्यौरा रिकार्ड किया जाएगा। इस ब्यौरे पर भी आपके तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और इसकी एक प्रति आपको दी जाएगी। परन्तु इस मेमो और गिरफ्तारी मेमो के बीच अन्तर यह है कि आपको इसके लिए अनुरोध करना होगा। अन्यथा यह मेमो तैयार नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हिरासत में व्यक्तिय को पीटा नहीं गया है या प्रताड़ित नहीं किया गया है। परन्तु चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कौन आपकी जांच करेगा यदि जिसने आपको हिरासत में रखा है वही आपकी जांच करता है तो इस बात की उम्मीद नहीं है कि वह आपको इसकी एक प्रति देगा। तथापि मैजिस्ट्रेट के समक्ष पहली पेशी के समय उसे अन्य सभी कागजातों के साथ अनुमोदित डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होता है। अतः एक डॉक्टर आपकी जांच अवश्य करेगा और आपको मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले आपकी शारीरिक जांच का एक विवरण अवश्य तैयार करेगा।

93. मुझे इन सभी बातों की जानकारी कैसे होगी?

कानून के अनुसार गिरफ्तारी के समय पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपको आपके सभी अधिकारों के बारे में बताए। इसके अतिरिक्त सभी पुलिस थाने में सूचना बोर्ड पर ऊपर बताए गए मार्गनिर्देशों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इन्हें डी.के. बासु मार्गनिर्देश भी कहते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के निदेश के बाद बनाया गया है।

94. क्या पुलिस अधिकारी मुझे हिरासत में पीट सकता है?

नहीं! वह आपको हिरासत में न तो पीट सकता है, न थप्पड़ मार सकता है और न ही आपको धमकी दे सकता है। यह कानून के खिलाफ है और पुलिस अधिकारी को इसकी सजा दी जा सकती है।

95. क्या पुलिस अधिकारी मुझ पर अपराध स्वीकार करने के लिए दबाव डाल सकता है?

नहीं! पुलिस अधिकारी का अधिकार है कि वह आपसे पूछताछ करे परन्तु वह आपको कुछ ऐसा कहने के लिए दबाव नहीं डाल सकता जिसकी आपको जानकारी न हो या जिस बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हो या फिर वह आपको उस अपराध को स्वीकार करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता जो आपने नहीं किया। पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी स्वीकारोक्ति अदालत में मान्य नहीं होती है।

96. क्या इतने प्रतिबंधों के बावजूद कोई भी पुलिस अधिकारी दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कार्य कर सकता है?

सबसे पहली बात यह पुलिस अधिकारी का काम नहीं है कि वह यह निर्णय दे कि कौन दोषी है और कौन नहीं। पुलिस का काम सिर्फ संदिग्ध और आरोपी को पकड़ना है। परन्तु वे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते मानो वह व्यक्ति दोषी ही है और उन्हें उस व्यक्ति को दंड देने का अधिकार है। यह काम अदालत का है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने से बचाने और दुर्व्यवहार से हर तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए और इसी कारण से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। वास्तव में, ये किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं हैं बल्कि वो प्रक्रिया है जिन्हें अदालत में प्रत्येक व्यक्ति को नि पक्ष सुनवाई का अवसर देने के लिए बनाया गया है।

97. क्या आरोपी व्यक्ति के लिए ये अधिकार बहुत अधिक नहीं है?पीड़ित व्यक्ति के क्या अधिकार हैं?

अनेक लोग यह सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित पर ध्यान नहीं देता है। परन्तु वास्तव में पूरे राज्य की शक्ति पीड़ित के पीछे होती है। राज्य पीड़ित की ओर से ही अपराधियों की तलाश करता है। राज्य पीड़ित की ओर से ही न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए

अभियोजक की नियुक्ति करती है। राज्य पीड़ित की ओर से ही दोषी को सजा देती है। परन्तु आरोपी अकेला होता है। हो सकता है वह दोषी ही न हो। अतः अकेले व्यक्ति जिसे स्वयं का बचाव करना है, के खिलाफ राज्य की शक्तियों को संतुलित करने के लिए विधि ने सुरक्षा उपाय बनाए हैं और जो कानूनी सहायता के लिए समर्थ नहीं है उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता जैसी सुविधाएं दी हैं।

98. क्या मुझे पुलिस से जमानत मिल सकती है?

यह मामले पर निर्भर करता है। यदि आप जमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए हैं तो आपको पुलिस से जमानत मिल सकती है। यदि आप गैर–जमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार होते हैं तो केवल कुछ ही अपराध हैं जिस पर पुलिस थाना का अधिकारी आपको जमानत पर रिहा कर सकता है।

99. क्या यह जानना महत्वपूर्ण है कि 'जमानती' और 'गैर–जमानती' अपराध क्या होते हैं?

हां! जमानती अपराध कम गंभीर अपराध होते हैं जिसमें जमानत एक अधिकार होता है। ऐसे मामलों में आपको तत्काल जमानत मिल जाती है। गैर–जमानती अपराध गंभीर अपराध होते हैं जिसमें जमानत विशेष अधिकार होता है और जिसमें सिर्फ अदालत ही जमानत दे सकती है सिवाय कुछ मामलों के जिसमें पुलिस भी जमानत दे सकती है।

100. यदि मैं किसी गैर–जमानती अपराध का अभियुक्त हूं तो क्या मुझे कभी भी जमानत नहीं मिलेगी?

नहीं! ऐसा जरूरी नहीं! आपको गैर–जमानती अपराध के लिए भी जमानत मिल सकती है। आपको जमानत के लिए अदालत में एक आवेदन देना होता है। अदालत अपराध की गंभीरता को देखेगी, वह देखेगी कि यदि आपको जमानत पर रिहा किया जाता है तो कहीं आप फरार तो नहीं हो जायेंगे या आप गवाह को धमकाऐंगे तो नहीं या सबूतों के साथ छेड़छाड तो नहीं करेंगे। यदि अदालत यह महसूस करती है कि आप ऊपर बताया कोई भी काम नहीं करेंगे तो वह आपको जमानत दे सकती है।

101. इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं आजाद हूं?

नहीं! इस दौरान आपको मुकद्दमे का सामना करना पड़ेगा और अदालत निर्णय लेगी कि आप दोषी हैं या निर्दोष।

पुलिस अधिकारियों के रैंक–बैज़

पुलिस
महानिदेशक
(डी.जी.पी.)

पुलिस
महा निरीक्षक
(आई.जी.पी.)

पुलिस
उप–महानिरीक्षक
(डी.आई.जी.)

वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक
(एस.एस.पी.)

पुलिस अधीक्षक
(एस.पी.)

पुलिस अपर अधीक्षक
(एड.एस.पी.)

पुलिस अधिकारियों के रैंक–बैज़

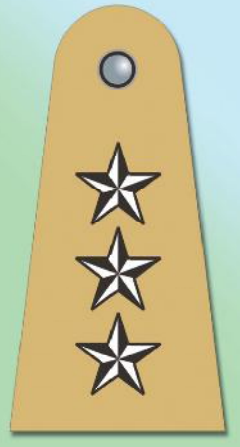

सहायक / उप
पुलिस अधीक्षक
(ए.एस.पी. /
डी.एस.पी.)

निरीक्षक
(आई.पी.)

उप–निरीक्षक
(एस.आई.)

सहायक
उप–निरीक्षक
(ए.एस.आई.)

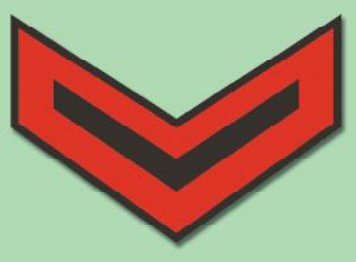

हेड कांस्टेबल
(एच.सी.)

सी.एच.आर.आई. के कार्यक्रम

सी.एच.आर.आई. के कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित हैं कि मानव अधिकारों, वास्तविक लोकतंत्र और विकास को लोगों के जीवन में एक वास्तविकता बनाने के लिए, कॉमनवेल्थ तथा इसके सदस्य देशों में जवाबदेही और भागीदारी के लिए काफी उच्च मानदंड और सक्रिय व्यवस्था होनी चाहिए और इसीलिए अपने व्यापक मानव अधिकार समर्थन कार्यक्रम के अतिरिक्त सी.एच.आर.आई. सूचना तक पहुंच और न्याय तक पहुंच की वकालत करता है। इस कार्य को यह शोध, प्रकाशन, कार्यशाला, सूचना प्रसार और समर्थन के माध्यम से करता है।

मानव अधिकार की वकालतः

सी.एच.आर.आई. अधिकारिक कॉमनवेल्थ निकायों तथा सदस्य सरकारों को नियमित जानकारी प्रदान करता है। सी.एच.आर.आई. समय–समय पर तथ्य जांच अभियान चलाता है और वर्ष 1995 में सी.एच.आर.आई. ने नाईजीरिया, जाम्बिया, फिजी द्वीप समूह और सिएरा लियो में अपना जांच दल भेजा है। सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स नेटवर्क का भी समन्वय करता है जो मानव अधिकारों की वकालत के लिए अलग–अलग समूहों की सामूहिक ताकत को बढ़ाने के लिए उन्हें एकजुट करता है। सी.एच.आर.आई. की मीडिया यूनिट यह भी सुनिश्चित करती है कि मानव अधिकार के मुद्दों पर नागरिकों की चेतना बनी रहे।

सूचना तक पहुंचः

सी.एच.आर.आई. सिविल समाज और सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, एक सुदृढ़ कानून के समर्थन में तकनीकी विशेषज्ञता के केन्द्र के रूप में कार्य करता है तथा स्वस्थ परम्परा को लागू करने में सहयोगियों की सहायता करता है। सी.एच.आर.आई. सरकार और सिविल समाज के क्षमता निर्माण तथा नीति निर्माताओं के साथ समर्थन में स्थानीय समूहों और अधिकारियों के साथ सहयोग करता है। सी.एच.आर.आई. दक्षिण एशिया में सक्रिय है तथा इसने अभी हाल में भारत में एक राष्ट्रीय कानून के लिए एक सफल अभियान का समर्थन किया है, अफ्रीका में कानून बनाने में समर्थन और जानकारी प्रदान की है तथा यह प्रशान्त क्षेत्र में कानून तक पहुंच में रूचि बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठन के साथ कार्य करता है।

न्याय तक पहुंचः

पुलिस सुधारः अनेक देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के बजाए देश के एक दमनकारी तंत्र के रूप में देखा जाता है, फलस्वरूप अधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन होता है और नागरिकों को न्याय से वंचित होना पड़ता है। सी.एच.आर.आई. व्यवस्था में सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस वर्तमान शासन के एक तंत्र के बजाए विधि सम्मत् कानून को बरकरार रखनेवाली एक संस्था के रूप में कार्य करे। भारत में सी. एच.आर.आई. के कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस सुधार के लिए जन समर्थन जुटाना है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में सी.एच.आर.आई. पुलिस उत्तरदायित्व और राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दों की जांच कर रहा है।

कारागार सुधारः सी.एच.आर.आई. का कार्य पारम्परिक रूप से बंद कारागार व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और कदाचार को उजागर करना है। इसका प्रमुख कार्य उस विधिक प्रणाली की असफलता को उजागर करना है जिसके फलस्वरूप कारागारों में उसकी क्षमता में काफी संख्या में कैदी रखे जाते हैं और मुकदमों से पहले ही उन्हें अनुचित रूप से लंबी अवधि तक रखा जाता है तथा करावास में कैदियों को उनकी सजा की अवधि से अधिक अवधि तक रखा जाता है तथा वह इन समस्याओं के समाधान में भी सहायता करता है। इसका एक दूसरा उद्देश्य कारागार निगरानी प्रणाली, जो पूर्णतया असफल रही है, को पुनः शुरू करना है। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने से कारागार प्रशासन में सुधार आएगा और न्याय प्रशासन पर इसका समग्र रूप से प्रभाव पड़ेगा।

वयस्कों के लिए सीखने योग्य बाल पुस्तिका

Friedrich Naumann STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

यू.एस.ओ. हाऊस, 6, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110065, भारत
फोनः +91–11–26862064, +91–11–26863846 फैक्सः +91–11–26862042
www.southasia.fnst.org/www.stiftung-freiheit.org

डेलीगेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू इंडिया
49, सुन्दर नगर, नई दिल्ली–110003
फोनः +91–11–42195219
फैक्सः +91–11–41507206, 07
वेबसाईटः http://eeas.europa.eu/delegations/ondia/index_en/htm

इस रिपोर्ट की विषय–वस्तु की पूरी जिम्मेदारी सी.एच.आर.आई. की है और किसी भी परिस्थिति में इसे यूरोपीय संघ का विचार नहीं समझा जाना चाहिए।

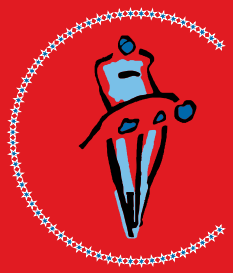

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
55ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, तीसरा माला,
नई दिल्ली–110016
टेलीः +91(11) 4318 0200, 4318 0201
फैक्सः +91(11) 2686 4688
info @humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org

Printed at : Printworld # 9810185402